प्र.सं. 49/19 देउबाई बनाम माना के बजाय श्रीमती वाली बाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लकड़वास, तहसील गिर्वा में साबिक आराजी नंबर 602, 621, 631, 641, 645, 653, 681, 691, 722, 762, 772 कुल किता 11 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि एवं चाह नंबर 693 स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात के स्वामी प्रार्थीया के पिता थे। इसके अतिरिक्त ग्राम लकड़वास में ही साबिक आराजी नंबर 625, 628, 638, 714, 833, 1115, 1120, 1121 कुल किता 8 रकबा रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि एवं चाह नंबर 4230 के 1/3 हिस्से के खातेदार प्रार्थीण के पिता स्वर्गीय खेमा वल्द रूपा डांगी थे। उक्त साबिक आराजियात के नये नंबर प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ''क'' वर्णित कुल किता 13 रकबा 0.770 एवं परिशिष्ट ''ख'' वर्णित कुल किता 26 रकबा 2.0450 हैक्टर हैं। उपरोक्त आराजियात में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार काबिज है। प्रार्थीया के अलावा प्रार्थीया के पिता के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु सन् 1958 में हुई। प्रार्थीया ने बालिग होने पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं राजस्व रेकार्ड की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि मोती, उंकार व माना ने षड़यंत्र पूर्वक खेमा के कोई संतान होना नहीं बताकर नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 28.05.1964 अपने नाम खुलवा लिया, जो प्रार्थीया के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' वर्णित आराजियात में प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 31.05.2016 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:03 IST
Reason: SelfAttested

आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपने पिता की मृत्यु वर्ष 1958 में हुए एवं म्यूटेशन सन् 1964 में खुला, उस समय अपीलान्ट नाबालिग थी, जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोन्डेन्टगण ने नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जो अपीलान्ट के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य प्रभावी है। विवादित भूमि प्रार्थीया के पिता के खातेदारी की होने से तथा प्रार्थीया अपने पिता की एक मात्र संतान होने से एकल स्वामी व कब्जेधारी है। राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज हो जाने से रेस्पोन्डेन्ट भूमि का विक्रय हस्तान्तरकरण कर सकते हैं, जिससे दावे के निस्तारण तक उन्हें रोका जाना आवश्यक है, किन्तु अपीलान्ट/प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2016 अपास्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 985, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 152, आर.आर.डी. 2005 पेज 349, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 373, आर.आर.डी. 2002 पेज 744, आर.आर.डी. 1993 पेज 206, आर.बी.जे. (1) 1994 पेज 134, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 42, आर.आर.डी. 2001 पेज 48, आर.आर.डी. 1991 पेज 540, ए.आई.आर. 1981 गुवहाटी पेज 42, ए.आई.आर. 1969 बोम्बे पेज 255 पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थीया खेमा [illegible] घोषणा का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:03 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में विवादित आराजियात के रेस्पोन्डेन्टगण रेकार्डेड खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में यदि दोनों पक्षों को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबन्द किया जाता है तो किसी पक्ष को नुकसान होने की कोई संभवना नहीं है। अगर रेस्पोन्डेन्टगण को प्रश्नगत भूमि के बेचान, रहन आदि से मूलवाद के निस्तारण तक रोका जाना है तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। पक्षकारों के अधिकार घोषणा के मूलवाद में तय होंगे। यद्यपि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है, परन्तु यहां प्रश्न अपीलान्ट के अधिकारों का है, जो दावे के निस्तारण में साक्ष्यों के आधार पर ही तय हो सकता है। ऐसी स्थिति यदि मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जातरा है तो किसी पक्षकार को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर आर. आर.डी. 1993 पेज 206 अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार परिवार के सदस्यों के बीच विवादित की स्थिति में खातेदार को जमीन बेचने से रोका जा सकता है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर बिना कोई विवेचन किये उक्त बिन्दु अपीलान्ट/प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होना मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन की रोशनी में प्रथम दृष्टया त्रृटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 51/2016 निर्णय दिनांक 31.05.2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:03 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:03 IST
Reason: SelfAttested